पत्रांकः— 14/एम 7–31/17 ......
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेषक,

प्रो० (डॉ०) खालिद मिर्जा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक......./......./2017

विषयः— Dual (Two) पारिवारिक पेंशन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के पत्रांक–3263/2017 दिनांक 01.03.17 के द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्योपरांत Dual (Two) पारिवारिक पेंशन भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया था। इस संबंध में वित्त विभाग का अधिसूचना संख्या–1030 दिनांक 03.11.2016 पूर्व में हीं निर्गत है, जो इस पत्र के साथ संलग्न की जा रहीं है।

अतएव उक्त अधिसूचना के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

अनुलग्नकः—यथोक्त

विश्वासभाजन,
ह0/—
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक 14 एम 7– 31/2017...989 पटना, दिनांक 09.08.17

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, 14 को एवं सभी सहायक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित तथा आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आदेश दिया जाता है।

8-8-17
निदेशक, उच्च शिक्षा

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

सं0-वि0(27) पे0 को0-36/2016-____________/वि0, पटना,दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार, पेंशन नियमावली,1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।- (1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली,2016 कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. उक्त नियमावली, 1950 के नियम-169 के बाद निम्नलिखित नया नियम 169(क) जोड़ा जायगा :-

"169(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्योपरांत जिन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है; उनके आश्रितों को भी दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक- वि0(27) पे0 को0-36/2016-____________/वि0, पटना,दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक- वि0(27) पे0 को0-36/2016-1030/वि0, पटना,दिनांक 3/XI/16

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ सचिव, बिहार विधान सभा/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

2-11-16